खारिज
03.07.2025

2025/462

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़

खेताराम बनाम राकेशकुमार आदि

मुकदमा किस्म अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट | प्रकरण संख्या 102 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
20.06.2025	प्रार्थी खेताराम की तरफ से वकील श्री मांगीलाल वर्मा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। प्रार्थी के अधिवक्ता को एक पक्षीय सुनने एवं प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न दस्तावेज के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य की जारी की जाती है कि चक 1 केडीएम के खाता सं. 21/19 के प.नं. 29/62(44) कि.नं. 1 ता 20, 21/2, 22/2, 23/2, 24/2, 25/2 की 6.200 है. प्रार्थी की खातेदारी भूमि में व उसके उतरी दिशा में बने पटड़ा को क्षतिग्रस्त, नष्ट करने एवं प्रार्थी की फसल नुकसान कारित करने से निषेद्ध रहे तथा मौका की यथास्थिति बनाये रखे। यह निषेधाज्ञा रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थी, अप्रार्थीगण को साधारण डाक के साथ-साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 21.07.2025 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	
03.7.2025	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र मिसल पेशी पेश करने पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थना-पत्र ~~[illegible]~~ प्रार्थी व अप्रार्थी का राजीनामा हो गया। इसलिए प्रार्थना-पत्र आगे नहीं चलाना चाहते हैं। मौजूदा स्थिति में खारिज करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र मौजूदा स्थिति में खारिज किया जाता है। [illegible] पत्रावली नतीजे से दर्ज कार्यवाही [illegible] तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर [illegible] सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	खेताराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.07.24 15:53:01 IST
Reason: SelfAttested